न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 05/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		योगेन्द्र पुरी पुत्र जगदीश पुरी जाति-गोस्वामी, निवासी सुभाष नगर, पाल रोड़, जोधपुर फर्म रसराज रेस्टोरेन्ट, पीडब्ल्यू सर्किल रातानाडा, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री युसुफ खान उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 27.11.2024

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी योगेन्द्र पुरी पुत्र जगदीश पुरी जाति गोस्वामी निवासी सुभाष नगर, पाल रोड़ जोधपुर फर्म रसराज रेस्टोरेन्ट, पीडब्ल्यू सर्किल, रातानाडा जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 07 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.12.2022 को जिला प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा रसराज रेस्टोरेन्ट पीडब्ल्यू सर्किल रातानाडा जोधपुर की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने नाम योगेन्द्र पुरी पुत्र श्री जगदीश पुरी बताया एवं प्रतिष्ठान पर मौके पर भरा गैस 19 किग्रा. के 07 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर बिना गैस एजेन्सी द्वारा जारी कनेक्शन के उपयोग में लिए जाना पाया गया जिसका विवरण इस प्रकार है :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.19 17:40:30 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	भारत गैस	008418-T	19.1 कि.ग्रा.	21.9 कि.ग्रा.	2.8 कि.ग्रा.
2.	भारत गैस	18173-S	19.3 कि.ग्रा.	19.8 कि.ग्रा.	0.5 कि.ग्रा.
3.	भारत गैस	000239-T	19.1 कि.ग्रा.	35.4 कि.ग्रा.	16.3 कि.ग्रा.
4.	भारत गैस	888955	19.1 कि.ग्रा.	22.3 कि.ग्रा.	3.2 कि.ग्रा.
5.	भारत गैस	038979-T	19.3 कि.ग्रा.	30.76 कि.ग्रा.	11.46 कि.ग्रा.
6.	भारत गैस	971728	18.6 कि.ग्रा.	31.1 कि.ग्रा.	12.5 कि.ग्रा.
7.	भारत गैस	008824-T	19.0 कि.ग्रा.	22.4 कि.ग्रा.	3.4 कि.ग्रा.

उक्त 07 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाकर मैनेजर श्री मोहनसिंह पुत्र विरेन्द्रसिंह वीर शिव गैस सर्विस, रातानाडा जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 07 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 07 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री फिरोज खान ने प्रकरण से संबंधित जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि अप्रार्थी के व्यावसायिक स्थल से जब्तसुदा व्यावसायिक गैस सिलेण्डर प्रार्थी द्वारा बजरिये उचित बिल वाणिज्यिक श्रेणी में ही सूर्या गैस एजेन्सी से खरीद किये गये है, जिसके समस्त बिल जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थी द्वारा तथाकथित रूप से अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर बिना गैस एजेन्सी द्वारा जारी कनेक्शन के गैस काम में ली जिस पर सात व्यावसायिक गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर राज्यसात किये जाने हेतु प्रकरण पेश किया गया है, जबकि अप्रार्थी द्वारा समस्त गैस सिलेण्डर सद्भाविक रूप से Non Domestic LPG 19 Kg. Filled Cylinder व्यावसायिक दर पर खरीदकर काम में लिये गये है तथा गैस एजेन्सी द्वारा अपने सोफ्टवेयर में इस संबंध में जो भी प्रविष्टि की उस संबंध में अप्रार्थी कतई उतरदायी नहीं है। अप्रार्थी के पूर्व गैस सप्लाईकर्ता द्वारा शिकायत करने पर कानूनी कार्यवाही की गई है। जो कि स्पष्टतया बदनीयति प्रदर्शित करती है। अप्रार्थी द्वारा समुचित प्रतिफल की राशि अदा कर अघरेलु गैस सिलेण्डर ही अपने व्यवसाय में काम में लिये गये है ऐसे में उक्त 07 गैस सिलेण्डर राज्यसात नहीं किये जा सकते है। अतः अप्रार्थी द्वारा जवाब नोटिस पेश कर, नोटिस अन्तर्गत धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.19 17:40:30 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर वक्त जांच मौके पर भारत गैस के 07 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर बिना गैस एजेन्सी द्वारा जारी कनेक्शन के उपयोग में लिए जाना पाए गए। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 07 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग में लिया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 07 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री युसुफ खान ने अपने जवाब को ही अपनी बहस मानते हुए प्रार्थी द्वारा जब्त भारत गैस के 07 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को रिलीज करने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने विभागीय पेरोकार व अधिवक्ता प्रार्थी के जवाब व बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वक्त जांच मौके पर भारत गैस के उक्त 07 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर बिना गैस एजेन्सी द्वारा जारी कनेक्शन के उपयोग में लिए ज़ाना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उक्त 07 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का बिना गैस एजेन्सी द्वारा जारी कनेक्शन के अवैध भण्डारण किया जाकर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा भारत गैस के 19 किग्रा. के उक्त 07 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा भारत गैस के 19 किग्रा. के 07 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.19 17:40:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर